131
1:05Pm

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 342/XXVIII–2/14–09(79)/2014
देहरादूनः दिनांक–10 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखा गया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यरत चिकित्साधिकारियों एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु कतिपय कार्मिकों द्वारा स्वंय और अपने कुटुम्ब के किसी सदस्यों द्वारा मा0 मंत्रीगण एवं अन्य महानुभावों से सिफारिशी पत्र एवं दूरभाष पर सिफारिश करायी जाती है। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक एवं उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम–24 के विपरीत है।

02. इस सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–50/2014, श्री जगमोहन सोनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–91/2014, श्रीमती पुष्पा रानी वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :–

"we expect that in future all the concerned officers of the State Governement will not be influenced in any manner by the letter of direction issues by the political leaders and will pass transfer order strictly in accordance with the rules. Let copies of this judgement be sent to the Principal Secretaries of every Department of the State Government.

All the application pending in these writ petitions stand diposed of"

03. अतः मा0उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम–24 के क्रम में, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यरत समस्त चिकित्साधिकारियों एवं अन्य समस्त संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सचेत किया जाता है कि वे उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्ति करें, यदि भविष्य में किसी चिकित्साधिकारी या अन्य समस्त संवर्ग के किसी

RC JOSHI, RO

अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में कोई सिफारिशी पत्र/दूरभाष प्राप्त होते है, तो सम्बन्धित के विरूद्व उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के प्राविधानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 342 /XXVIII–2/14–09(79)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ अधिकारी–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–573/पी0एस0/एस0ओ0/विविध/2014, दिनांक–18 सितम्बर, 2014 के क्रम में।
3. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निजी सचिव,अपर सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. निदेशक,चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/ पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अनु सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
8. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–03/04/05, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा महानिदेशक।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा महानिदेशक।
11. समस्त चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
अनु सचिव।

RC JOSHI, RO